FORM - III

फर्द अहकाम

नियम (26)

अजु अदालतः– उपखण्ड ~~मजिस्ट्रेट~~ अधिकारी, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

लखवीर कौर ~~सरकार~~ बनाम ......सरकार......

किस्म मुकदमाः– धारा 136 L.R. Act.... द0प्र0संहिता, प्रकरण सं0 ....46.... सन 2018

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-5-18	लखवीर कौर पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4M राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट कमीनपुरा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के नाम चक 4M खाता सं. 13 में 0.506 है. व खाता सं. 14 में 0.975 है. रकबा एवं चक 26F के खाता सं. 63 मे 0.291 है. रकबा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के नाम लखविन्द्र कौर पुत्री रणजीत सिंह दर्ज है परन्तु अन्य पहचान दस्तावेज में प्रार्थिया का नाम लखवीर कौर पुत्री रणजीत सिंह है। प्रार्थिया इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती करवाना चाहती है अतः प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्त किया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के नाम चक 4M के खाता सं. 13, 14 व चक 26F के खाता सं. 63 मे रकबा दर्ज है। प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में नाम लखवीर कौर पुत्री रणजीत सिंह है सरपंच ग्राम पंचायत कमीनपुरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थिया का नाम लखवीर कौर पुत्री रणजीत सिंह है ~~भू~~ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे उपरोक्तानुसार दुरुस्ती करने की अभिशंसा की जाती है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया को सुना गया एवं मजमेआम से जानकारी प्राप्त की गई प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिया का सही नाम लखवीर कौर पुत्री रणजीतसिंह है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचन सरपंच ग्राम पंचायत कमीनपुरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट नायब तहसीलदार के आधार पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	लखवीर कौर Gurvinder kaur सरपंच ग्रा.पं. 27 F (कमीनपुरा) पं. स. श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 M की जमाबन्दी सम्वत २०७२ ता ७5 के खाता सं. 13/7 एवं इसी चक के खाता सं. 15/6 तथा चक २6 F की जमाबन्दी सम्वत २०७२ ता 75 के खाता सं. 63/61 में अंकित नाम लखविन्द्र कौर पुत्री रणजीत सिंह के स्थान पर लखवीर कौर पुत्री रणजीत सिंह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें इन दोनो चक के तीनो खातो के शेष अंकन एवं रहन बदस्तुर रहेंगे आदेश इस आशय का उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के नाम जारी हो आदेश की एक प्रति शाखा प्रबंधक कॉरपोरेशन बैंक शाखा श्री गंगानगर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)